

पटना में दिनांक-10 जनवरी, 2025 शुक्रवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

1. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिलान्तर्गत अंचल-सुगौली में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate-2023) पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5983.43 लाख (उनसठ करोड़ तिरासी लाख तैंतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

1. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

2. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत सिवान जिलान्तर्गत जिरादेई, अंचल अन्तर्गत मौजा-भौसाखाल में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate-2023) पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5849.18 लाख (अंठावन करोड़ उन्चास लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

2. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

3. राज्य के कुल 246 (दो सौ छियालिस) जर्जर अथवा गैर मरम्मत योग्य कार्यालय भवन के कारण नये प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रति प्रखंड राशि 16,62,10,000/- (सोलह करोड़ बासठ लाख दस हजार) रुपये एवं 62 (बासठ) भवनहीन प्रखंडों में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय परिसर के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रति प्रखंड राशि 30,74,17,000/- (तीस करोड़ चौहत्तर लाख सत्रह हजार) रुपये की दर से कुल राशि 59,94,75,14,000/- (उनसठ अरब चौरानबे करोड़ पचहत्तर लाख चौहद हजार) रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

3. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

4. राज्य के 422 प्रखण्ड जहाँ 15 वर्षों से अधिक पुराने वाहन रद्दीकरण योग्य हैं, उन प्रखण्डों के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से वाहन क्रय किये जाने हेतु $422 \times 14,00,000 = 59,08,00,000/-$ (उनसठ करोड़ आठ लाख) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

4. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

5. नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास कार्य के निमित्त प्रदत्त मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 12,15,00,000/- (बारह करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये में 89.72 प्रतिशत वृद्धि एवं प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 18,78,00,000/- (अठारह करोड़ अठहत्तर लाख) रुपये में 22.74 प्रतिशत वृद्धि के साथ द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन हेतु कुल राशि 23,05,12,000/- (तेइस करोड़ पांच लाख बारह हजार) रुपये की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

5. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

6. नमामि गंगे योजना (100 प्रतिशत सेंट्रल सेक्टर सपोर्ट) के अन्तर्गत नगर निगम, कटिहार में इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु अनुमानित लागत राशि रु० 3,56,99,32,000/- (तीन सौ छप्पन करोड़ निन्यानवे लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र) (100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा देय) पर सहमति एवं राज्य सरकार द्वारा देय सेंटेज की राशि रु० 7,35,10,170/- (सात करोड़ पैंतीस लाख दस हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) अर्थात् कुल रु० 3,64,34,42,170/- रुपये (तीन सौ चौंसठ करोड़ चौंतीस लाख बयालिस हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

6. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

7. रक्सौल नगर परिषद में इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नमामि गंगे के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से अनुमानित लागत व्यय कुल 66,12,46,950.00 रु० (छियासठ करोड़ बारह लाख छियालिस हजार नौ सौ पचास रुपये मात्र) जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि रु० 63,17,00,000/- (तिरेसठ करोड़ सत्रह लाख रुपये मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार के ओर से देय सेंटेज की राशि कुल रु० 2,95,46,950/- रुपये (दो करोड़ पंचानवे लाख छियालिस हजार नौ सौ पचास रु० मात्र) के व्यय की स्वीकृति।

7. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

8. पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लव-कुश इको टूरिज्म पार्क, वाल्मीकिनगर के विकास हेतु राशि— 51,54,07,900/— (एकावन करोड़ चौवन लाख सात हजार नौ सौ) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।

8. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

9. राज्य सड़क सुरक्षा निधि से राज्य में 26 जिलों के 72 प्रमुख चौक चौराहों पर यातायात उल्लंघनकर्त्ताओं पर ऑटोमेटेड चालान निर्गमण की प्रक्रिया हेतु CCTV/ANPR कैमरों के अधिष्ठापन एवं 5 वर्षों के रख-रखाव हेतु कुल अनुमानित व्यय रु० 35,46,37,394/— (पैंतीस करोड़ छियालिस लाख सैंतीस हजार तीन सौ चौरानवे रूपए) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

9. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. कैमूर जिलान्तर्गत अंचल-भगवानपुर के पौरा पहाड़ी पर अवस्थित माँ मुण्डेश्वरी धाम में बन रहे आकाशीय रज्जु पथ निर्माण के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को अपयोजित की जाने वाली भूमि अंचल-भगवानपुर के मौजा-टोड़ी, थाना नं०-366, खाता संख्या-643 चक/462 (सर्वे), खेसरा सं०-590 चक/473 (सर्वे) कुल-6.46 एकड़ अनावाद बिहार सरकार किस्म-जंगल झाड़ी भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

10. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. सारण जिलान्तर्गत अंचल-अमनौर के मौजा-अरना, थाना सं०-269 खाता सं०-02, खेसरा सं०-02 का कुल रकबा-30.00 एकड़ किस्म-भीट समाहर्त्ता, सारण द्वारा लोक प्रयोजन के निमित्त अर्जित बिहार सरकार की भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) में 400/220/132 के०वी०जी०आई०एस० ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०-6,00,75,000/— (छः करोड़ पचहत्तर हजार) रु० के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

11. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-सधनपुरा, थाना सं०-15 एवं मौजा-पहाड़पुर, थाना नं०-14, क्रमशः रकबा-12.00 एकड़ एवं 4.50 एकड़ बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के स्वामित्व की कुल प्रस्तावित रकबा-16.50 एकड़ (विवरणी-परिशिष्ट-I संलग्न) भूमि पर Isolation Bay एवं DVOR के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
12. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

13. 'हर घर नल का जल' निश्चय के तहत पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित गैर गुणवत्ता प्रभावित वाले 58003 वार्डों में छूटे हुए 16124 टोलों में जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु रु० 361133.23400 लाख (तीन हजार छः सौ ग्यारह करोड़ तैतीस लाख तेइस हजार चार सौ) राशि की मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के विस्तारीकरण की स्वीकृति।
13. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

14. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंचलीय स्तर पर पम्प ऑपरेटर/इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 में आंशिक संशोधित कर बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंचलीय स्तर पर पम्प ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति के संबंध में।
14. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

15. बिहार आई०टी० (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) पॉलिसी-2024 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहनों (इनसेंटिव्स) में एसजीएसटी प्रतिपूर्ति को सम्मिलित करने के संबंध में।
15. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

16. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त नये पद सृजित एवं उत्क्रमित करने के संबंध में।
16. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

17. राज्य योजनान्तर्गत पटना विधि महाविद्यालय, पटना में नये छात्रावास के निर्माण एवं पुराने छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रु० 34,09,77,000/- (चौतीस करोड़ नौ लाख सतहत्तर हजार रुपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
17. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

18. बिहार राज्य के पटना जिलान्तर्गत दीघा घाट में निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में। 18. स्वीकृत।

मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग

(वायुयान संगठन निदेशालय)

19. रक्सौल हवाई अड्डा के विकास हेतु अतिरिक्त 139 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य स्कीम से अनुमानित मुआवजा राशि ₹2,07,70,46,000/- (दो सौ सात करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 19. स्वीकृत।

मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग

(वायुयान संगठन निदेशालय)

20. दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने के संबंध में 89.75 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य स्कीम से अनुमानित मुआवजा राशि ₹2,44,60,79,000/- (दो सौ चौवालीस करोड़ साठ लाख उनासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 20. स्वीकृत।

कृषि विभाग

21. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम अंतर्गत स्थापना एवं विकास संबंधी कार्यों के लिए 4734.6387 लाख (सैतालीस करोड़ चौतीस लाख तिरेसठ हजार आठ सौ सत्तर) रुपये सहायक अनुदान हेतु निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 21. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

22. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग अंतर्गत बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, बिहार, पटना हेतु विभिन्न कोटि के कुल 38 (अड़तीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 22. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

23. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत पाँच हजार छः सौ पैंतीस (5635) ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के सफलतापूर्वक परिचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 9000.00 लाख (नब्बे करोड़) रुपये की राशि की बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। 23. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

24. गया जिलान्तर्गत खिजरसराय अंचल के मौजा-डेगॉव, थाना सं०-78, खाता सं०-314 के विभिन्न खेसराओं में अनावार बिहार सरकार की कुल प्रस्तावित रकबा-20.00 एकड़ (विवरणी-परिशिष्ट-I संलग्न) भूमि टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
24. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

25. पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-धीराचक, थाना नं०-16 में स्थित प्रस्तावित कुल रकबा-1.46 एकड़ (संलग्न परिशिष्ट-I के अनुसार) बिहार सरकार की भूमि किस्म-भीठ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (विदेश भवन) के निर्माण हेतु विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
25. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

26. पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-सधनपुरा, थाना सं०-15 में रकबा-4.63 एकड़, मौजा-आमुकुढ़ा, थाना सं०-13 में रकबा-16.21 एकड़ एवं मौजा-समनपुरा, थाना सं०-12 में रकबा-0.16 एकड़ सहित कुल प्रस्तावित रकबा-21.00 एकड़ (विवरणी-परिशिष्ट-I संलग्न) भूमि, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), भारत सरकार को पूर्व में लीज द्वारा हस्तान्तरित भूमि है, पर पटना एयरपोर्ट में समानांतर टैक्सी ट्रैक के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत सरकार को स्थायी निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
26. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

27. प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में सीवान जिलान्तर्गत "मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला" को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अन्तर्गत सम्मिलित करने के संबंध में।
27. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

28. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2024-25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रु० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किये जाने की स्वीकृति एवं वृद्धि के पश्चात् अन्तर राशि अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रु० का एवं प्रतिवर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति।
28. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

29. राज्य स्कीम मद से संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार 720 आसन वाले 3 (तीन) प्रखण्डों में डॉ० भीम राव अम्बेडकर 10+2 आवासीय विद्यालय, प्रखण्ड-सह-अंचल-मोतीपुर एवं सकरा (मुजफ्फरपुर) तथा बांकेबाजार (गया) में निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के अनुसार प्रति आवासीय विद्यालय ₹46,07,97,000/- (छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रु०) मात्र की दर पर कुल (₹46,07,97,000X3)= ₹138,23,91,000/- (एक सौ अड़तीस करोड़ तेईस लाख एकानवे हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
29. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

30. राज्य स्कीम मद से राजकीय अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय, भर्मा प्रखण्ड-सह-अंचल बेगूसराय, जिला-बेगूसराय में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल ₹46,07,97,000/- (छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
30. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

31. विभागीय संकल्प सं०-1164 दिनांक-28.03.2022 द्वारा स्वीकृत छात्रावासों में से 38 का प्रत्यार्पण करते हुए राज्य स्कीम मद से संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार 38 (अड़तीस) जिला मुख्यालयों में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास योजना" अन्तर्गत सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास (100 आसन) के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
31. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

32. राज्य स्कीम मद से डॉ० भीम राव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय प्रखण्ड-सह-अंचल पारू, जिला-मुजफ्फरपुर में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल ₹46,07,97,000/- (छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
32. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

33. राज्य स्कीम मद से राजकीय अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय, मुरौल का प्रखण्ड-सह-अंचल बंदरा, जिला-मुजफ्फरपुर के विद्यालय भवनों (720 आसन) के निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल ₹46,07,97,000/- (छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रु०) मात्र पर कराने की प्रशासनिक स्वीकृति।
33. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

34. 60 सेट ऑफिसर्स आवास एवं हॉस्टल परिसर, नेहरू पथ, पटना का पुनर्विकास कार्य हेतु ₹246,23,60,000.00 (दो सौ छियालीस करोड़ तेईस लाख साठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 34. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

35. श्री संतोष कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग के दिनांक-31.12.2024 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य अभियंता स्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पद पर योगदान की तिथि से अगले 02 (दो) वर्ष तक के लिए अथवा मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य अभियंता स्तर) के पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। 35. स्वीकृत।

विधि विभाग

36. भोजपुर (आरा) न्यायमंडल अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, पीरो में 10 कोर्ट भवन (G+5), हाजत भवन (G+1) एवं एमिनिटी भवन (G+4) के निर्माण कार्य हेतु रु०-34,06,24,000/- (चौतीस करोड़ छः लाख चौबीस हजार रुपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। 36. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

37. प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में दोन शाखा नहर के 0.00 कि०मी० से 93.75 कि०मी० तक सेवापथ का पुनर्स्थापन (कालीकरण) कार्य, प्राक्कलित राशि रु० 7800.15 लाख (अठहत्तर करोड़ पन्द्रह हजार) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 37. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

38. प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में सारण तटबंध के कि०मी० 80.00 से कि०मी० 152.00 के बीच तथा संलग्न छरकियों पर उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक कार्य तथा शीर्ष पर कालीकरण कार्य (प्राक्कलित राशि रु० 35151.00 लाख) (रुपये तीन सौ इकावन करोड़ इकावन लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। 38. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

39. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन मुजफ्फरपुर जिला के कार्य प्रमंडल-मुजफ्फरपुर पूर्वी-1 अंतर्गत पथ "टी03-मंसुरपुर से बेरुआडीह (सबहा चौक से मरीचा पथ)", लम्बाई-14.380 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 30.0238 करोड़ रुपये (तीस करोड़ दो लाख अड़तीस हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

39. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

40. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन पूर्वी चम्पारण जिला के कार्य प्रमंडल-सिकहरना ढाका अंतर्गत पथ "चिरैया से पुरनहिया", लम्बाई-16.570 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 41.7406 करोड़ रुपये (एकतालिस करोड़ चौहत्तर लाख छः हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

40. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

41. प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के क्रम में बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत कुल रकबा 504.52 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु० 298,77,06,366.00 (रुपये दो सौ अठ्ठानवे करोड़ सत्तहत्तर लाख छः हजार तीन सौ छियासठ) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

41. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

42. प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के क्रम में बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु वैशाली जिला अन्तर्गत कुल रकबा 1243.45 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु० 1001,92,15,154.00 (रुपये एक हजार एक करोड़ बानवे लाख पन्द्रह हजार एक सौ चौवन) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

42. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

43. प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के क्रम में चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु बाजार समिति परिसर चनपटिया, की 29.30 एकड़ भूमि को कृषि विभाग, बिहार से उद्योग विभाग, बिहार को हस्तांतरित करने तथा चनपटिया स्टार्ट-अप जोन परिसर के टेक्सटाईल/वस्त्र उद्योग से जुड़ी इकाईयों को विशेष परिस्थिति मानते हुए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 के तहत अर्जित किये जाने एवं तदनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में।

43. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

44. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज प्रखण्ड अंतर्गत मेजरगंज में एक नये 2X80 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण एवं 132 के०भी० डबल सर्किट मेजरगंज-शिवहर संचरण लाइन एवं सीतामढ़ी-ढाका सिंगल सर्किट संचरण लाइन का प्रस्तावित ग्रिड उपकेन्द्र मेजरगंज में एल०आई०एल०ओ० एवं ग्रिड उपकेन्द्र शिवहर में 132 के०भी० के दो लाइन 'बे' के निर्माण हेतु 162.73 करोड़ (एक सौ बासठ करोड़ तिहत्तर लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात् 32.55 करोड़ (बत्तीस करोड़ पचपन लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 130.18 करोड़ (एक सौ तीस करोड़ अठारह लाख) रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

44. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

45. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु पश्चिमी चम्पारण जिला के बेतिया अनुमंडल के मझौलिया प्रखण्ड अंतर्गत अमवामन (सेनुवरिया) में एक नये 2x80 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण एवं 132 के०भी० डबल सर्किट रक्सौल-अमवामन संचरण लाईन एवं मोतिहारी-बेतिया सिंगल सर्किट संचरण लाईन का प्रस्तावित ग्रिड उपकेन्द्र अमवामन में एल०आई०एल०ओ० एवं ग्रिड उपकेन्द्र रक्सौल में 132 के०भी० के दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 148.49 करोड़ (एक सौ अड़तालिस करोड़ उनचास लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात् 29.70 करोड़ (उनतीस करोड़ सत्तर लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 118.79 करोड़ (एक सौ अठारह करोड़ उनासी लाख) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

45. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

46. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु वैशाली जिले के महुआ अनुमंडल में एक नये 2x80 एम०भी०ए० क्षमता वाली ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण एवं 132 के०भी० ताजपुर-महुआ संचरण लाईन एवं हाजीपुर (नया)-समस्तीपुर के एक सर्किट का महुआ में एल०आई०एल०ओ० (LILLO) एवं ताजपुर में 132 के०भी० के दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 157.01 करोड़ (एक सौ संतावन करोड़ एक लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात् 31.40 करोड़ (एकतीस करोड़ चालीस लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 125.61 करोड़ (एक सौ पच्चीस करोड़ इकसठ लाख) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

46. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

47. प्रगति यात्रा के क्रम में पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मेहसी प्रखंड अंतर्गत बुढ़ी गंडक नदी के इब्राहिमपुर घाट पर 12x24.00 मी० आकार का उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य हेतु कुल ₹7050.92 लाख (रुपये सत्तर करोड़ पचास लाख बानवे हजार) मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

47. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

48. नाबार्ड ऋण परियोजना (आर०आई०डी०एफ-XIX) के तहत मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर में बुढ़ी गंडक नदी पर डा० जगन्नाथ मिश्र कॉलेज के पास सोडा गोदाम चौक एवं अहियारपुर के बीच पहुँच पथ निर्माण कार्य सहित 2-लेन के 12x25.00 मी० आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य कुल ₹9872.44 लाख (अन्तानवे करोड़ बहत्तर लाख चौवालीस हजार रुपये) की द्वितीय पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

48. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

49. प्रगति यात्रा के क्रम में छपरा जिलान्तर्गत एन०एच०-19 छपरा के लेफ्ट आउट पोरशन (लम्बाई 13.400 कि०मी०) के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु कुल ₹8995.35 लाख (रुपये नवासी करोड़ पंचानवे लाख पैंतीस हजार मात्र) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

49. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

50. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल छपरा अंतर्गत खैरा-बिनटोलिया (कि०मी० 0.00 से 7.34 कि०मी०) पथ में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल 4053.16 लाख (चालीस करोड़ तिरपन लाख सोलह हजार) रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

50. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

51. प्रगति यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत शिवहर-मीनापुर-कांटी पथ अन्तर्गत कांटी-रघई घाट कि०मी० 0 से 9.70 तक के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 7418.13 लाख (चौहत्तर करोड़ अठारह लाख तेरह हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

51. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

52. प्रगति यात्रा के क्रम में प्रमंडल संख्या-2 मुजफ्फरपुर अन्तर्गत शिवहर-मीनापुर-कांटी पथ के कि०मी० 20.43 से 29.80 कि०मी० के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 5256.42 लाख बावन करोड़ छप्पन लाख बेवालीस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

52. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

53. प्रगति यात्रा के क्रम में दिए गए निदेश के आलोक में पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत पथरीघाट से बरवत सेना पथ (कुल लम्बाई 6.750 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल 7316.37 लाख (तिहत्तर करोड़ सोलह लाख सैंतीस हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

53. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

54. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल शिवहर अन्तर्गत शिवहर-मीनापुर-कांटी पथ के कि०मी० 0.00 से 20.43 कि०मी० के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 17276.66 लाख (एक सौ बहत्तर करोड़ छिहत्तर लाख छियासठ हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

54. स्वीकृत।

गृह विभाग

55. बिहार पुलिस कर्मियों (सिपाही, हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक) की भाँति बिहार अग्निशमन सेवा के संगत कोटि के कर्मियों को वित्त विभागीय संकल्प सं०-5027, दिनांक-17.05.2013 के आलोक में उत्क्रमित वेतनमान क्रमशः पी०बी०-1+ग्रेड पे ₹2000, पी०बी०-1+ग्रेड पे ₹2400 तथा पी०बी०-1+ग्रेड पे ₹2800 में दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

55. स्वीकृत।